"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 जनवरी 2013—माघ 3, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (दो) एवं धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची-दो में,—

1. सरल क्रमांक 21 के कॉलम (4) की प्रविष्टि "अनु. जनजाति 63 प्रतिशत" के सामने, कॉलम (5) के अंक "41", के पश्चात्, अंक एवं अल्प विराम "43," अन्तःस्थापित किया जाए.

2. सरल क्रमांक 21 के कॉलम (4) की प्रविष्टि "अ.पि.व. 14 प्रतिशत" के सामने, कॉलम (5) के अंक "96" के स्थान पर, अंक "97" प्रतिस्थापित किया जाए.

3. सरल क्रमांक 24 के कॉलम (4) की प्रविष्टि "अनु. जनजाति 84 प्रतिशत" के सामने, कॉलम (5) के अंक "36," के पश्चात्, अंक एवं अल्प विराम "37," अन्तःस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2013

क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3 दिनांक 15 जनवरी, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

Raipur, the 15th January 2013

NOTIFICATION

No. F 13-14/2009/R.C./1-3.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (2) of Section 4 and Section 13 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jantiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Rules, 1998, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule-II of the said rules,—

1. After the figure "41," of column (5) of serial number 21, against entry "ST 63%" of column (4), the figure and comma "43," shall be inserted.

2. For the figure "96" of column (5) of serial number 21, against entry "OBC 14%" of column (4), the figure "97" shall be substituted.

3. After the figure "36," of column (5) of serial number 24, against entry "ST 84%" of column (4), the figure and comma "37," shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.